बाई पुत्री रामा उर्फ रामलाल जाति बागरी निवासी गरबोलियातहसील
--- प्रार्थीया
रथाना जिलाझालावाड़ ﴾राज0﴿

बनाम

- चन्दा उर्फ चन्द्रिया उर्फ रामचन्द्र पिता रामा उर्फ रामलाल जाति बागरी
- मोहन उर्फ मोहनलाल पिता रामा उर्फ रामलाल जाति बागरी निवासी
ग्राम गरबोलिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ ﴾राज0﴿
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारतह0 म0थानT ---- प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा212 राज0टी. एक्ट एंव
आर्डर 39 नियम 1व2 एंव धारा 151 जा0दी0

मान्यवर,

प्रार्थीयानिम्न निवेदन करती है:-

1- यह कि प्रार्थीया ने उपरोक्त उनवान का एक वाद पत्र माननीयन्यायालय हाजा मे पेशकरदियाहै जिसके प्रार्थीयाको सफलता मिलने की पुरीपुरीआशा है एंव सुविधा कासन्तलनभी प्रार्थीया के पक्ष मे है जो प्राईमा पेशाई सही एंव सत्यहैं।

2- यह कि ग्राम गरबोलिया पटवार हल्का गरबोलियातहसील म0थाना के माल की नई खोतानी सख्या 238 परानी 226 की कुल 14 किताकी 37बीधा 19 बिस्वा आराजी प्रार्थीया के पिता रामाउर्फ रामलाल वल्द पैमा जाति मोग्या निवासी गरबोलिया के नाम दर्ज हैं। जिसमे प्रार्थना का3/28 हिस्सा निहित है नकल जमाबन्दी फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथसलग्न हैं।

3- यह कि ग्रामगरबोलिया पटवार हल्का गरबोलिया तहसील मनोहरथाना के माल की नई खेवट खातोनी सख्या 364 परानी 358 की खासरा नं0 381 की 6बीधा 6 बिस्वा आराजी प्रार्थीयाके पिता रामा उर्फ रामलाल वल्द पैमा जाति

क्रमशः-----/2/-- पर

मौज्या निवासी गरबोलियाके खाते दर्ज थी जिसमे प्रार्थीयाके पिता का 1/3 हिस्सा है नकल जमाबन्दी फोटो प्रति सम्वत 2066 से 2069 पेशहैं।

3- यह कि अर्सा 25-30 वर्ष पूर्व प्रार्थीयाके पिता रामा उर्फ रामलाल पिता पेमा का देहान्त हो चुकाहै जिसकाइन्तकाल नम्बर 159 दिनांक 5/12/78 को खुल चुका है जिसमे प्रार्थीया का नाम नही आयाहैं। सहवन पटवारी हल्काकी गलती से जानबूझकर प्रार्थीया का नाम जमाबन्दी मे नही दर्ज कियागयाहै नकल इन्तकाल नम्बर 159 खारीज होने योग्य हैं। नकल इन्तकाल नम्बर 159 दिनांक 5/12/78 अवलोकनार्थ पेशहैं।

4- यह कि प्रार्थनापत्रकी मद नं0 1 व 2 मेवर्णित आराजी की 3/28 हिस्से मे से 1/28 हिस्से पर व 1/3 हिस्से मे से 1/4 हिस्से पर प्रार्थीया अर्सा 25 साल से काबिज काश्त चली आ रही है आराजी पुश्तैनी होने से प्रार्थीयाको हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम केतहत स्वत: ही पुश्तैनी आराजी मे अधिकार प्राप्त हो चुका है। उक्त आराजी मेप्रार्थीयाखातेदार टीनेन्ट घोषित होने योग्य हैं।

5- यह कि प्रार्थीया ने उक्त आराजी पर अपना नाम अपने खाते दर्ज करने व दुरस्त करने बाबत अप्रार्थीगणनं0 1 व2 से कईबार कहा लेकिनअप्रार्थीगण द्वारा कोई सुनवाई नही कि अन्तिम बारदिनांक 20/4/2013 को अप्रार्थीगण से कहने पर उनके द्वारा कोई सुनवाई नही करने से प्रार्थना पत्र हेतु उत्पन्न हुआहैं।

6- यह कि कमली बेवाखेमापफौत हो चुकी हैजिसके वारिसानपहले से ही रिकार्ड पर उपलब्ध हैजिनके नाम जमाबन्दी मे दर्ज हो चुके हैं।

अत: प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमायाजावे कि वह

1- ग्रा। गरबोलिया तहसील भीमहरथानाके माल कीखातोनी सख्या 328 की 14 किताकी 37 बीघा 19 बिस्वाआराजी व खातोनीसख्या 364 की 6बीघा 6 बिस्वाआराजी मे से 3/28 हिस्से मे से 1/28 हिस्सा व 1/3 हिस्से मे से 1/4 हिस्सा पर प्रार्थीयाको खातेदार टीनेन्टघोषित किये जावे

2- यह कि अप्रार्थीगण 1व2 कोइस आशयकी अस्थायी निषेधाज्ञाभी

/3/

जारी फरमायी जावे कि ग्राम गरबोलिया हसील मोहर थानाके मल की

खातौनी सख्या 338 की 37 बीधा 19 बिस्वा आराजी मे 3/28 हिस्सा

खातौनी सख्या 364 की 6 बीधा 6 बिस्वा आराजीका 1/3 हिसे को

किसी अन्य व्यक्तियो को बेचान ना करे ना हीअन्य से करवाने की कोशिश करे और ना ही उप पजीयनअधिकारतहसील मोहरथानाउक्त पजीयनको तस्दीक नाकरें।

प्रार्थीया

कमलाबाई पुत्री रामा उर्फ रामलाल

जाति बागरी निवासी गरबोलियातहसील

मोहरथाना जिला झालावाड §राज0§

स्थान : म0थाना

दिनांक: 2/5/2013

नि.अं.

कमलाबाई

अधि एड.